लामता में बने पक्के सेड पर अवैध कब्जे का मामला ठंडे बस्ते में

जनसुनवाई में भी आवेदकों को नहीं मिल रहा न्याय

लामता।

गत दिनों से देखा जा रहा है कि बालाघाट जिले में जन सुनवाई में लगे प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया जा रहा है। शायद बालाघाट कलेक्टर को न्याय देने में भी नेताओ का सहारा लेना पड़ता होगा, इसलिए नेताओ के इशारों में ही प्रकरण का निराकरण किया जाता होगा।

विगत जनवरी माह में लामता निवासी शत्रुघ्न असाटी द्वारा एक जनहित कार्य हेतु एक आवेदन लगाया गया था कि ग्राम पंचायत लामता के हॉट बाजार में बने पक्के सेड को पूर्व सरपंच द्वारा बिना ग्रामसभा की बैठक लिए 20 वर्षो के लीज पर किराया में दे दिया है और जिन्हे कमरे दिए है वे भी वो कमरों को बेच दिए है और पूर्व सरपंच के द्वारा पंचायत के कमरो को तो?कर अपने व अपने पुत्र के नाम पर पट्टा जारी करके कमरों को किराये पर चला रहे है। जिसको लेकर पूर्व में शत्रुघ्न असाटी द्वारा जिला पंचायत बालाघाट में शिकायत की गई थी। जिस पर जिला पंचायत में 04अ/89(2) दर्ज कर प्रकरण की सुनवाई की गई थी और जिला पंचायत न्यायालय के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था। लेकिन आवदेक का आरोप है कि आज तक उक्त आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नही करवाई गई और ना ही प्रकरण का नकल दिया जा रहा है और ना ही अनावेदक का कब्जा हटाया गया।

वर्तमान में जिला पंचायत के अधिकारियो द्वारा आवेदक को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उक्त प्रकरण को कलेक्टर साहब के पास अनुशंसा के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजा गया है, तो कभी कहते है कि फाइल नही मिल रही है। इस प्रकार से जनहित में कार्य करने वालो को भी उच्च अधिकारियो द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस विषय को लेकर शिकायतकर्ता शत्रुघ्न असाटी द्वारा 30 जनवरी 2024 को पुनः जनसुनवाई में शिकायत की गई थी। लेकिन उक्त शिकायत पर भी कोई जाचं कार्यवाही नही हुई और ना ही आवदेक को उसके द्वारा की गई शिकायत पर किसी प्रकार का न्याय मिल पाया है।

वारासिवनी पुलिस ने की कार्यवाही, जिला बदर का आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट। एसपी समीर सौरभ द्वारा आदतन अपराधियों पर नकेल कसने हेतु उनके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये है। जिसके परिपालन में थाना वारासिवनी पुलिस ने जिला बदर के एक आरोप को गिरफ्तार किया है। जिसके विरूद्ध अवैध वसूली, एस.सी/एस.टी. एक्ट, महिला संबंधी छेडछाड, मारपीट जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध थे। जिसको लेकर जिला दण्डाधिकारी बालाघाट ने उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की थी।

जहां उसे बालाघाट जिले के सीमावर्ती जिले सिवनी, मंडला तथा डिण्डोरी की सीमा से 01 वर्ष हेतु निष्कासन कर दिया था। लेकिन 30 अप्रैल को जिला बदर का आरोपी तुषार बिसेन उम्र 24 वर्ष निवासी मंगेझरी के वारासिवनी थाना क्षेत्र मे होने की सुचना मिली। जिस पर वारासिवनी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी तुषार बिसेन को हिरासत मे लिया गया और उसके विरूद्ध धारा-14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

स्टेंड पोस्ट के नाम पर जल निगम को दिया जा रहा धोखा

बालाघाट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत संचालित जल आवर्धन योजना के जरिये जल निगम के द्वारा बालाघाट जिले के पिपरझरी, भटेरा, ढुटी और देवसर्रा ग्राम में फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है और गांव गांव पाईप लाईन बिछाकर क्षेत्र की आबादी याने प्रत्येक घरो तक नलजल कनेक्शन के तहत पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ अधिकांश परिवारो को तो मिल रहा है, लेकिन कुछ परिवार इसके लाभ से वंचित भी है। जिनकी ओर किसी का ध्यान नही है। लिहाजा उन्हे गर्मी के दिनो में दो वक्त के पानी के लिये संघर्ष ही करना पड रहा है। जिन गांवो में नल कलेक्शन लगे है और पानी की सप्लाई प्रारंभ हो चुकी है, उन नलों के कनेक्शनो में स्टेंड पोस्ट लगाने के भी आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिस पर अमल करते हुए जल निगम ने यूके-इंफरा कंपनी को पिपरझरी, भटेरा, ढुटी और देवसर्रा चारों प्लांटों के नल कनेक्शनो में स्टेंड पोस्ट व टोंटी लगाने का टेंडर दे दिया। जिस पर कार्य करते हुए कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ गांवो में स्टैंडपोस्ट तो लगा दिये। लेकिन उनमें टोंटी व पाइपलाईन से कनेक्शन जोडने का काम छोड दिया। जबकि संबंधित कंपनी के ठेकेदार को इस कार्य को पूरी तरह पूर्ण करना चाहिये था। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने स्टेंड पोस्ट को खडा करके शो-पिस बना दिया है। जिसको लेकर लोगो में नाराजगी भी है। जल-निगम की राशि का बंदरबाट करने के आरोप लगने लगे है। ऐसे में अब यह भी सवाल उठने लगे है कि जल निगम के अधिकारियों द्वारा इन कार्यों की मॉनीटरिंग क्यो नही की जाती? या फिर विभाग के अधिकारी ही कंपनी के ठेकेदार के साथ साठगाठ करके जल निगम को ही धोखा दे रहे हैं? यह शासन के लिये जांच का विषय है।

होटल में था अवैध शराब का भंडारण 56 लीटर शराब जप्त, आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट।

अवैध शराब के विरूद्ध थाना किरनापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से 56.7 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिसकी कीमती करीबन 31 हजार 900 रुपए आंकी गई है। दरअसल, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब का व्यापार करने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गये है। जहां उक्त निर्देश के पालन में जिले के समस्त अनुभागों मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन मे अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब का व्यापार करने वाले वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाहीयां की जा रही है। इसी बीच 30 अप्रैल को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी किरनापुर ने टीम गठित कर आरोपी राजेश खरे निवासी माटे के होटल पर रेड की कार्यवाही कर तलाशी ली। जहां होटल के कमरे से 56.7 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। जिसकी कीमत 31,900 रुपए है। जिसे विधिवत जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 191/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मान. न्यायालय में पेश कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल निरूद्ध किया गया है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 2 मई को आयोजित

बालाघाट। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढपाले से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार को कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स?क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी दिशा निदेर्शों का पालन करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 (3) अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की मॉनिटरिंग करने एवं सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी है।

विवादित जमीन का एसडीएम गोपाल सोनी ने किया निरीक्षण

बालाघाट।

एसडीएम गोपाल सोनी और रेवन्यु विभाग के अमले द्वारा कोसमी स्थित पटवारी हल्का न 103 और 104 का घटना स्थल पर पहुंच अवलोकन किया है, किन्तु अवलोकन के समय जबरन कब्जा करने वाले मौजूद नहीं थे, बल्कि भूमि स्वामी की पत्नी और पुत्री मौजूद थी। उपस्थित पटवारी और रेवन्यू के कर्मचारियों ने शिकायत करता और भूमि स्वामी से उक्त जमीन के दस्तावेज का अवलोकन किया। एसडीएम गोपाल सोनी ने भूमि-स्वामी और शिकायतकर्ता को आस्वस्थ किया कि पूरी जमीन की पैमाईश कर आप की जमीन का कब्जा दिलवाया जाएगा।

ज्ञात हो कि पटवारी हल्का न 103 और 104 में करीब 2600 वर्ग फिट जमीन शिकायतकर्ता शशी राय के पिता विनोद राय ने क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री और खसरा नक्सा नकल उनके पास मौजूद है। किन्तु एक गंभीर चोट के कारण विनोद राय कोमा में चले गए, जिनका इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। इसी दौरान कोसमी के ही योगेश और गगन नगपुरे के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। परेशान हाल विनोद राय की पुत्री ने उक्त समूचे घटनाक्रम की शिकायत कलेक्टर डॉ गिरीश मिश्रा और एसपी को लिखित में की। तत्पश्चात कलेक्टर से की शिकायत पर कार्रवाई शिथिल रही, किन्तु शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार कलेक्टर को शिकायत करती रही। शिकायतकर्ता के शिकायत पर एसडीएम गोपाल सोनी ने 01 मई दोपहर में स्वयं स्पॉट पर जाकर जानकारी ली। यह भी खबर मिली है कि कब्जा धारकों ने उक्त विवादित जमीन को किसी सचदेव नाम व्यक्ति को बिक्री कर दी है।

इनका कहना है

उक्त जमीन दो वर्गो में वर्णित है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर मैने स्वंय मौका स्थल का निरीक्षण है और एक जांच बनाकर पैमाईश करवाई जायेगी। ताकि शिकायतकर्ता की जमीन पर उसका कब्जा हो सकें।

गोपाल सोनी एसडीएम

विधायक दिनेश राय ने बेगमगंज मे आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा मे किया सहभागिता

सिवनी।

सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने लोकसभा चुनाव अंतर्गत मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जी की बेगमगंज नगर मे आयोजित विशाल जनसभा मे सहभागिता किया। विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने आज विदिशा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बेगमगंज नगर मे लोकसभा चुनाव के तहत पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समर्थन मे आयोजित प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जी की विशाल जनसभा मे सहभागिता किया। इसके पश्चात विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने विदिशा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सुल्तानगंज, सियरमऊ एवं तहसील सिलवानी मे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जनसभा मे सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या मे भारतीय जनता पार्टी के जेष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं एवं आमजनों की गरिमामय उपस्थिति रही।

कार में बैठकर सट्टा पट्टी लिखते धराया

सिवनी।

कोतवाली पुलिस ने सट्टा पट्टी लिखं रहे दो आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि उद्योग कार्यालय के पास बिना नंबर की कार में सट्टा पट्टी लिख रहे आरोपी सीवीरमन वार्ड निवासी मनीष पिता राम बघेल को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वह बारापत्थर निवासी अजय उर्फ अज्जू शिववेदी के लिए सट्टी पट्टी लिखता है। आरोपी मनीष के पास से कार, दो मोबाइल और 54 सौ रुपए जब्त किए गए। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक सुन्दर श्याम तिवारी, आरक्षक विक्रम देशमुख, प्रतीक बघेल, राजू भलावी और मनोज हरिनखेड़ शामिल रहे।जिले भर में सट्टा-जुआ जोरों पर- जिले भर में सट्टा व जुआ के अड्डों की फिर बाढ़ सी आ गई है। जगह-जगह जुआ फड़ सज रही है। सिवनी सहित धूमा, लखनादौन, केवलारी, बरघाट, आदेगांव, अरी, कान्हीवाड़ा में जुआ- सट्टा का कारोबार जोरों पर चल रहा है। पुलिस द्वारा कहीं-कहीं कार्रवाई की जा रही है।

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सिवनी। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन में श्रीमती मनीषा बसेर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिवनी द्वारा गत दिवस को कुटुम्ब न्यायालय परिसर सिवनीमें विधिक जागरूकता शिविर एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में मध्यस्थता योजना के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में उपस्थित न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागणों से चर्चा की गई साथ ही 11 मई 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई।

विधायक विवेक पटेल आज करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान

वारासिवनी।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 023-024 की कक्षा 10 वीं एवँ 12 की बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल अंक पाकर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का आज 2 मई को स्थानीय पवार मंगल भवन में विधायक विवेक पटेल द्वारा सम्मानित किया जाएँगा। विधायक कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सभी सरकारी एवँ निजी शिक्षण संस्थानों के करीब 250 से अधिक विद्यार्थियों जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवँ कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाकर अपने पालकों, स्कूल और विधानसभा क्षेत्र का नाम रौशन करने वाले बच्चों का सम्मान विधायक विवेक पटेल के हस्ते होंगा। विदित हो कि ऐसा पहली बार होंगा की सम्पूर्ण विधानसभा स्तर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान क्षेत्र के विधायक द्वारा किया जा रहा हैं जो अनुकरणीय हैं विद्यार्थियों के इस सम्मान से निश्चित ही विद्यार्थियों को प?ाई के क्षेत्र में और भी बेहतर से बेहतर करने की प्रेरणा मिलेंगी।

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए

सिवनी

कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने मंगलवार 30 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारी की बैठक लेकर राजस्व संबंधी बिंदुओं की समीक्षा की गई तथा विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा अनुभागवार राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर नियत समय से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने अविवादित नामांतरण तथा बटवारे के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए ऐसे प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के लिए संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री सिंघल ने अनुभागवार लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली प्रकरणों में गति लाने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा प्राकृतिक प्रकरणों तथा ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसानी के सभी प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को प्रदाय आर्थिक सहायता की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए इसके साथ-साथ सीएमहेल्पलाईन की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं।

रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव क्यो नहीं चाहते रेल अधिकारी?

रेल अधिकारियों की उदासीनता के चलते सुविधाओं का अभाव

केवलारी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर मंडल नागपुर के जंक्शन से छिंदवाड़ा दिशा में ब्राड गेज शुरू हुए डेढ़ वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन आम जनता की मांग और आति आवश्यक सुविधाओं की ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर के अधिकारियों की उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती है।केवलारी रेलवे स्टेशन को जो सुविधा मिलना चाहिए वह सुविधा जन मांग के बाद भी नहीं मिल पा रही है।नैनपुर से छिंदवाड़ा सेक्सन पर स्तिथ केवलारी स्टेशन एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो यात्रियों के माध्यम से एवं रेंक पॉइंट मालवाहक के माध्यम से लाखों रुपया राजस्व रेलवे को मिल रहा है। इस रोड पर दो पैसेंजर ट्रेनों के अलावा नागपुर शहडोल एवं रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन की आवाजाही है दोनों ट्रेनो का जनवरी तक स्टॉपेज नहीं था ब्राडगेज रेल संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष रमाशंकर महोबिया के आग्रह पर सिवनी बालाघाट सांसद माननीय श्री डॉक्टर ढ़ालसिंह बिसेन ने रेल मंत्री भारत सरकार से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज दिलवाया था, जिसका उद्घाटन 13 जनवरी 2024 को रेलवे अधिकारीयो, क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में हुआ था। स्टॉपेज उद्घाटन अवसर पर उपस्थित रेलवे के अधिकारियों से रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन सहित अन्य मांगों निराकरण की मांग रेलवे के अधिकारियों से किया था। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन 13 जनवरी 2024 से केवलारी में रुक रही है इस ट्रेन पर बीते 3 महीने में लगभग 20 लाख रुपए से अधिक की राजस्व रेलवे को अर्जित हुई है ,रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का केवलारी में स्टाप ना होने से रेलवे को बहुत बड़ा आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। नैनपुर छिंदवाड़ा सेक्सन का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन केवलारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन विशालतम क्षेत्र की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है चारों दिशाओं की यात्रा की संभावना का प्रमुख केंद्र बिंदु है फिर भी अधिकारियों ने केवलारी में रीवा इतवारी के स्टॉपेज के लिए कोई भी हस्तक्षेप ना करके उदासीनता का परिचय दिया है ।शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज दिनांक 13 जनवरी 2024 को केवलारी में उपास्तिथ अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक गोरख विश्वनाथ जगताप, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाणिज्य अविनाश कुमार आनंद के साथ मंडला सांसद और केवलारी विधायक की उपस्थिति में रीवा इतवारी का स्टॉपेज दिलाए जाने ,रैंक पॉइंट तक लोडेड वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के अलावा आरक्षण बिंडों चालू कराये जाने की मांग रखी गई थी तीन माह बीत जाने के बाद भी ना तो रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज मिला है ना ही आरक्षण बिंडो चालू हुई है और ना ही रेक पॉइंट पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का कोई शेड्यूल बनाया गया ।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिविजन में पदस्थ अधिकारियों की उदासीन कार्यप्रणाली का परिणाम है कि रेलवे स्टेशनों में पेयजल सुविधाओं का अभाव के साथ महत्वपूर्ण बिषयो को नजर अंदाज किया जा रहा है।

अवैध शराब के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध सतत् जारी कार्यवाही

सिवनी

कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में जहरीली एवं अवैध शराब के उत्पादन, संग्रह, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सतत कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में आबकारी विभाग के दल द्वारा 08 अप्रैल से 28 अप्रैल 24 तक वृत्त उत्तर में 14 प्रकरण पंजीबध्द करते हुए 108634/- रू. अनुमानित मूल्य की 128.95 ब.ली.मदिरा एवं 600 कि.ग्रा. महुआ लाहन जप्त कर नष्ट करने की कार्यवाही की गई। इसी तरह वृत्त दक्षिण में 10 प्रकरण पंजीबध्द करते हुए 423510/- रू. मूल्य की 154.0 ब.ली. मदिरा एवं 3810 किग्रा महुआ लाहन, वृत्त शहर में 16 प्रकरण पंजीबध्द करते हुए 88220/- रूपये की 127.0 ब.ली. मदिरा एवं 480 किग्रा महुआ लाहन, वृत्त लखनादौन में 15 प्रकरण पंजीबध्द करते हुए 57432/- रूपये की 80.03 ब.ली. मदिरा एवं 295 किग्रा महुआ लाहन तथा वृत्त घंसौर में 12 प्रकरण पंजीबध्द करते हुए 14640/- रूपये अनुमानित मूल्य की 52.0 ब.ली. मदिरा जप्त कर नष्ट करने की कार्यवाही की गई।